

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(1)(2)पंचा/रानिआ/2024 /655

दिनांक: 20.01.2026

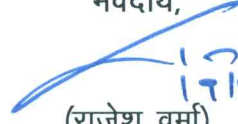
आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व आदेश क्रमांक 4906 दिनांक 21.10.2014 एवं 5897 दिनांक 07.08.2015 को अधिक्रमित करते हुए आदेश प्रदान करता है कि पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होने के पश्चात् निर्वाचक नामावली की मतदाताओं की फोटो रहित सूचियों की सॉफ्ट कॉपी (सी.डी. में पी.डी.एफ. के रूप में) एवं हार्ड कॉपी (फोटो रहित/सहित) गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनैतिक दल/एनजीओ/आमजन को उपलब्ध कराने हेतु दरे निम्नानुसार है:-

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| 1. मतदाता सूची की हार्ड कॉपी (In Photo Copy)
(मतदाताओं की फोटो रहित/सहित) | — | रु. 2/- प्रति पृष्ठ एक तरफ |
| 2. मतदाता सूची की हार्ड कॉपी (In Photo Copy)
(मतदाताओं की फोटो रहित/सहित) | — | रु. 4/- प्रति पृष्ठ दोनों तरफ |
| 3. मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी (In Compact Disk)
(मतदाताओं की फोटो रहित) (In Pdf Formate) | — | रु. 100/- प्रति सी.डी. |

आवेदन करने पर आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर निर्वाचक नामावली की प्रति उपलब्ध करवायी जा सकती है।

भवदीय,


(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ.7(1)(2)पंचा/रानिआ/2024 / 656-665

दिनांक: 20.01.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका/पंचायत)।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
9. कम्प्यूटर शाखा को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने तथा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने हेतु।
10. लेखा शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(अम्बा लाल मीणा)
उपसचिव